



## भारतीय हज समिति ने हज नीति 2018-22 पर रिपोर्ट श्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रस्तुत की

Posted On: 07 OCT 2017 3:54PM by PIB Delhi

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 2013-17 के लिए सरकार की हज नीति की समीक्षा करने तथा हज नीति 2018-22 के लिए रूपरेखा का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने आज (7 अक्टूबर, 2017) मुंबई में केंद्रीय अल्पसंख्यक

हज भारत सरकार द्वारा इसकी सीमाओं से बाहर किए गए सर्वाधिक जटिल संगठनात्मक कार्यों में से एक है। यद्यपि, यह एक पांच दिन का धार्मिक समागम है, वास्तव में यह वर्ष भर चलने वाली प्रबंधकीय क हज-2013 के बाद सऊदी अरब सरकार द्वारा भारत के लिए निर्धारित हज कोटा 136020 निर्धारित किया गया था। वर्ष 2016 में 135902 तीर्थयात्रियों ने हज किया जिसमें से 99902 भारतीय हजसमिति के माध्यम से गए और 36000 निजी टूर ऑपरेटर्स

भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए हज नीति के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने और एक नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक समिति गठित

समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल था :

- भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटर्स से संबंधित मौजूदा हज नीति की इसके उद्देश्यों और उपलब्धियों की रोशनी में इसकी समीक्षा करना।
- मौजूदा नीति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्देशों के निहित-प्रभावों की छानबीन करना और ऐसे निर्देशों की रोशनी में उक्त नीति में उपयुक्त संशोधन सुझाना।
- हज सख्सिडी से संबंधित मुद्दों सहित भारतीय हज समिति द्वारा हज तीर्थयात्रियों के लिए आवास और हवाई यात्रा के लिए किए गए प्रबंधों की कारगरता की समीक्षा करना।
- भारतीय हज समिति और सीजीआई की कार्य प्रणाली में अंतर-संबंधों और तालमेल की कारगरता की छानबीन करना।
- हज तीर्थयात्रियों के हितों की रक्षा के लिए पीटीओ के लिए पारदर्शिता, उपभोगता संतुष्टि और प्रकटीकरण अपेक्षाओं के पहलुओं की छानबीन करना ताकि नई नीति को तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सहायक बनाया जा सके।
- निजी टूर ऑपरेटर्स के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अधिक महत्व के लिए उपाय सुझाना।
- एचसीओआई और पीटीओ के लिए हज नीति के संगत अन्य किन्हीं मुद्दों की छानबीन करना।
- उपयुक्त की रोशनी में एचसीओआई और पीटीओ के लिए नई हज नीति हेतु ढांचा सुझाना।

समिति ने 15 फरवरी, 2017 से अपना कार्य करना शुरू किया और सूचना संकलित करने तथा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बहुत सी बैठकें कीं। इसने सभी स्टैकहोल्डर्स, समुदाय के नेताओं और सामान्य जनता के साथ व्यापक परामर्श कि 2017 को नई दिल्ली में आम जनता और अन्य स्टैकहोल्डर्स के साथ व्यक्तिगत बातचीत की थी।

समिति ने सऊदी अरब राज्य में विभिन्न स्थानों पर भारत के महाकौसलावास(सीजीआई), जेद्दा द्वारा की गई हज व्यवस्थाओं की विमर्श किया। समिति ने मोस्सासा के प्रचालन अधिकारियों और हज प्रचालन में लगे पदाधिकारियों अर्थात् नक्काबा सख्यरत, मकताबुल बुकला, अदिला एस्टेब्लिशमेंट, सऊदी एयरलाइनों और जीएसीए आदि के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर बातचीत :

व्यापक परामर्श और बातचीत के बाद समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया।

समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित अनुसार हैं:

### भारतीय हज समिति के लिए सरकार की हज नीति

1. भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटर्स के बीच कोटे का वितरण अगले 5 वर्षों के लिए 70:30 के अनुपात में युक्तिसंगत बनाया जाए।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सीटों का वितरण उनकी मुस्लिम आबादी के अनुपात के साथ-साथ प्राप्त आवेदनों के अनुपात में किया जाए।
3. मेहरम के लिए कोटा 200 से बढ़ाकर 500 किया जाए।
4. जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष कोटा 1500 से बढ़ाकर 2000 किया जाए।
5. 500 से कम आवेदन प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिशेष सीटों के वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दिव तथा पुडुचेरी जैसे संघ राज्य क्षेत्रों
6. आवेदकों की आरक्षित श्रेणी अर्थात् 70+ तथा चौथी बार वालों को समाप्त किया जाए।
7. 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मेहरम के बिना हज के लिए चार या इससे अधिक के समूह में जाने की अनुमति दी जाए।
8. मक्का, अजिजीया और आस-पास के क्षेत्रों में केवल एक श्रेणी का आवास यात्रियों के लिए परिवहन की सुविधाओं के साथ नई, बहु-मंजिला आधुनिक इमारतों में किराये पर लिया जाए।
9. बाद के वर्ष में नई, अच्छी और बड़ी इमारतों में पुनः किराये पर लेने की व्यवस्था की जाए।
10. मदीना में सभी आवास केवल मरकजिया में ही किराये पर लिए जाएं।
11. भारतीय हाजियों को ठहराना मीना की पारंपरिक सीमाओं के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
12. प्रत्येक तीर्थ-यात्री के लिए अदाही कृपन अनिवार्य बनाए जाएं।
13. ठेकेदारों के संघ को पारदर्शी बोली प्रक्रिया से तोड़ा जाए। बेहतर बातचीत से किराये की दर नीचे लाई जाए।
14. आरोहण स्थल (ईपी) 21 से घटाकर 9 किए जाएं जो (1) दिल्ली (2) लखनऊ (3) कोलकाता (4) अहमदाबाद (5) मुंबई (6) चेन्नई (7) हैदराबाद (8) बैंगलूरू और (9) कोचीन में हों। इन आरोहण स्थलों पर उपयुक्त हज गृहों का निर्माण किया
15. बंद कर दिए गए आरोहण स्थलों पर निर्मित सुविधाओं का उपयोग वर्ष भर प्रशिक्षण, तीर्थ-यात्रियों के अभिमुखीकरण और समुदाय के लिए अन्य उत्पादक प्रयोगों के लिए किया जाए।
16. पोत के द्वारा हज यात्रा करने के बारे में सऊदी सरकार से परामर्श किया जाए और उसके बाद ऐसी यात्रा के लिए बाजार की थाह लेने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का विज्ञापन दिया जाए।

### निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए सरकार की नीति

- 
17. पीटीओ आवेदनों पर कार्रवाई के लिए एक मजबूत पोर्टल विकसित किया जाए।
18. हज प्रभाग के निर्णयों से दुखी पीटीओ के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए 2-3 विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए।
19. पीटीओ को उनके अनुभव और विचार क्षमता के अनुसार तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाए। पीटीओ का कोटा वैयक्तिक पीटीओ को सीटों का 200:100:50 के अनुपात में आवंटन करने के प्रावधान के साथ तीनों वर्गों के बीच 30:40:30 के अनु
20. पीटीओ के लिए एक व्यापक पैनलीकरण नीति तैयार की जाए जिससे आसानी एवं तेजी से नवीकरण करने में सुविधा होगी। पैनल में शामिल करना दस्तावेजों के साथ-साथ पीटीओ के वास्तविक निरीक्षण के आधार पर किया जाए। पीटीओ को सूची
21. पीटीओ यात्रियों से केवल बैंक खाते के माध्यम से पूर्ण पैकेज लागत वसूल करें और भारत से यात्रियों के प्रस्थान से पूर्व मंत्रालय को विवरण प्रस्तुत करें।

22. प्रत्येक पीटीओ के पास पूर्व निर्धारित प्रकटन मानदंडों के साथ एक सही-सही वेबसाइट होनी चाहिए।
23. पीटीओ का नाम बदलकर हज समूह संगठक (एचजीओ) किया जाए।
- अन्य सिफारिशें
24. बेहतर समन्वय के लिए सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) और सचिव (विदेश मंत्रालय) की सह-अध्यक्षता में अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संचालन समिति कागठन किया जाए।
25. भारत से दो सदस्यीय हज सद्भावना प्रतिनिधि मंडल जारी रहे।
26. सीरिया, ईरान, ईराक और जोर्डन तक उमरा और ज़ियारत शामिल करने, पुराने उपबंधों को हटाने, भारतीय हज समिति में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अधिकारी शामिल करने आदिके बारे में हज समिति अधिनियम में संशोधन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और ज़वाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और हज तीर्थ-यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई अन्य सिफारिशें की गई हैं। इसकी प्रस्तुति के बाद एचपीआरसी के

AK

(Release ID: 1505163) Visitor Counter : 13

